प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 01 मार्च, 2024

विषय- क्रिमिनल अपील संख्या-628/2020 राकेश रावत बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3824/मा0अनु0(3)/10/2022/राकेश रावत/लखनऊ, दिनांक 09-02-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत मामले में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2023 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि जिला कारागार, लखनऊ के सिद्धदोष बंदी राकेश रावत की दिनांक 11.02.2022 को हुई मृत्यु के प्रकरण में मृतक की पत्नी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2023 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

----------"we deem it proper to direct the Senior Registrar of this Court to transmit copy of the said Report to the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary (Home), Government of Uttar Pradesh, Lucknow who may take cognizance of the same and take such action as he may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case and as may be required in law. In addition to it, it is always open for the wife of the deceased appellant to claim such relief as is permissible in law before the appropriate court/forum but so far as this appeal is concerned, it has to be dismissed as abated, of course, without prejudice to the aforesaid. Whatever decision/ action is taken upon the Report aforesaid by the State Government, it shall be communicated to the wife of the deceased appellant. We expect an early decision in the matter say within the next three months. "

3- अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-10-2023 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जिला कारागार, लखनऊ के मृतक बंदी राकेश रावत के निकटस्थ परिजनों/ आश्रितों को चालू वित्तीय वर्ष-2023-2024 के अन्तर्गत तदर्थ रूप से मुआवजा धनराशि रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करतीं हैं कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूल कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2023-2024 के आय व्यय के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

5- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

--2

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या:22/2024/87जे0(1)/22-5-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कार्यालय महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ को उनके पत्र संख्या-16315 सी0आर0एल0ऐ0 ए0-।।/एल0के0ओ0/2023, दिनांक 02/11/2023 के सन्दर्भ में।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी, लखनऊ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारियों को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 न्यायालय/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- कोषाधिकारी, लखनऊ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूली किये जाने हेतु प्रेषित।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

8- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

9- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।

10- श्रीमती मधु रावत पत्नी स्व0 राकेश रावत, निवासी-5 ई-5/92 वृन्दावन कालोनी, तेलीबाग, थाना-पी0जी0आई0, जनपद लखनऊ

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।